न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 14/2024

प्रार्थी

सरकार जरिए प्रवर्तन निरीक्षक, सिरोही जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी

श्री राजेश मोदी पुत्र श्री मंगलचन्द जाति जैन निवासी मोदी लाईन, छोटी ब्रह्मपुरी सिरोही हाल प्रोप. अभिनन्दन स्वीट्स एण्ड केटर्स, ठाकुर बावसी, चान्दमारी रोड, सिरोही।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. सहायक अभियोजन अधिकारी, सिरोही।
2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा।

निर्णय दिनांक 11.11.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 26.09.2024 को श्री सहीराम, प्रवर्तन अधिकारी सिरोही द्वारा अभिनन्दन स्वीट्स एण्ड केटर्स, ठाकुर बावसी, चान्दमारी रोड, सिरोही की आकस्मिक जांच करने पहुंचने पर वहां पर तीन घरेलू सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी के साथ जुडे हुए पाए गए। उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ करने से उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों को कब्जे सरकार लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया था।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई, परन्तु जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः प्रकरण में दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी सिरोही एवं अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 26.09.2024 को श्री सहीराम, प्रवर्तन अधिकारी सिरोही द्वारा अभिनन्दन स्वीट्स एण्ड केटर्स, ठाकुर बावसी, चान्दमारी रोड, सिरोही की आकस्मिक जांच करने पहुंचने पर वहां पर तीन घरेलू सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी के साथ जुडे हुए पाए गए, जिनका उपयोग प्रतिष्ठान पर मिठाई बनाने (व्यावसायिक) का कार्य किया जा रहा था। इस प्रकार मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ करने से अप्रार्थी द्वारा केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध होने से निरीक्षण दल

जिला कलेक्टर, सिरोही

द्वारा उक्त तीनों घरेलू गैस सिलेण्डरों को कब्जे सरकार लिया गया है। अतः कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेण्डरों एवं उपकरण को जब्त सरकार किया जावे।

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि अप्रार्थी के घरेलू सिलेण्डर खाली होने से अप्रार्थी द्वारा उक्त तीनों सिलेण्डरों को रिफिल कराने हेतु अपनी दुकान पर रखा हुआ था, परन्तु प्रार्थी द्वारा उक्त सिलेण्डरों को व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बताकर गलत रूप से जब्त किया गया है। यह है कि उक्त सिलेण्डरों को जब्त किए जाने से अप्रार्थी के पास अन्य कोई सिलेण्डर नहीं होने से घर पर खाने बनाने में समस्या हो रही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना फरमाकर जब्तशुदा सिलेण्डरों को लौटाए जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण में उभय पक्ष की सुनी गई बहस एवं न्यायालय पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त निष्कर्ष इस प्रकार है कि अप्रार्थी द्वारा तीन 14.2 किग्रा. घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ व्यवसाय में किया जाने से केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है। मौके पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के प्रतिष्ठान की जांच करने पर तीन घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग प्रतिष्ठान पर मिठाई इत्यादि बनाने का कार्य व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किया जा रहा था। घरेलू गैस सिलेण्डरों का प्रतिष्ठान पर मिठाई इत्यादि बनाने का कार्य किया जाना वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ की श्रैणी में आता है। अप्रार्थी से उक्त सिलेण्डरों के बारे में पूछा तो अप्रार्थी कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाने से निरीक्षण दल द्वारा उक्त सिलेण्डरों को कब्जे सरकार लिया गया है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि अप्रार्थी के घरेलू सिलेण्डर खाली होने से अप्रार्थी द्वारा उक्त तीनों सिलेण्डरों को रिफिल कराने हेतु अपनी दुकान पर रखा हुआ था, परन्तु प्रार्थी द्वारा उक्त सिलेण्डरों को व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बताकर गलत रूप से जब्त किया गया है। इस सम्बन्ध में मौके की फोटो के अवलोकन से यह पाया जाता है कि कब्जे सरकार लिए गए सिलेण्डर जिस भट्टी से जुडे हुए थे, उस भट्टी पर बढी कढाई में मिठाई इत्यादि बनाने का कार्य किया जा रहा था एवं अप्राथी द्वारा परिसर को मिठाई इत्यादि बनाने के उपयोग में लिया जा रहा था, जो कि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ की श्रैणी में आता है, जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रतिष्ठान में रखी हुई सामग्री भी व्यावसायिक प्रयोजनार्थ ही काम में ली जा रही थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी द्वारा कब्जे सरकार लिए गए गैस सिलेण्डरों की गैस डायरी भी प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह साबित हो कि उक्त घरेलू सिलेण्डर अप्रार्थी स्वयं के थे। चूंकि कब्जे सरकार लिए गए सिलेण्डर घरेलू उपयोग में लिए जाते है परन्तु अभिनन्दन स्वीट्स एण्ड केटर्स, ठाकुर बावसी, चान्दमारी रोड, सिरोही के पास घरेलू गैस सिलेण्डर पाए जाना एवं उस पर वक्त निरीक्षण मिठाई बनाने का कार्य किए जाने से स्पष्ट है कि उक्त गैस सिलेण्डरों का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ ही किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग अनाधिकृत रूप से किया जाने से केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है।

जिला कलेक्टर, सिरोही

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिए गए तीनों घरेलू गैस सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी को जब्त सरकार किया जाना उचित प्रतीत होने से कब्जे सरकार लिये गये तीनों गैस सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है।

जिला रसद अधिकारी, सिरोही कब्जे सरकार लिए गए तीनों गैस सिलेण्डरों में भरी हुई गैस को नियमानुसार निर्धारित दर पर बेचान कर खाली सिलेण्डर सम्बन्धित गैस कम्पनी को सुपुर्द कर प्राप्त राशि राजकोष के उचित लेखा मद में जमा कराने की कार्यवाही करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही